HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 3550/2026

1. Kanti Bai W/o Shoji Lal Urf Shivji Lal, Police Station Dei, Tehsil Nainwa, Dist. Bundi. Resident Of Village Luhar Pura, Police Station Dei, Tehsil Nainwa, Dist. Bundi.
2. Shoji Lal Urf Shivji Lal S/o Ram Karan, Resident Of Village Luhar Pura, Police Station Dei, Tehsil Nainwa, Dist. Bundi.
3. Sampat S/o Shoji Lal Urf Shivji Lal, Resident Of Village Luhar Pura, Police Station Dei, Tehsil Nainwa, Dist. Bundi.

----accused-Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Ram Lal S/o Fundi Lal, R/o Gram Luharpura, Thana Dei, Tehsil Nainwa, Dist. Bundi.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Vikas Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V.J.)

Order

08/06/2026

स्थगन प्रार्थनापत्र संख्या 4252/2026 पर सुना गया।

याचीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि परिवादी रामलाल ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 116/2026 पुलिस थाना देई, जिला–बून्दी में याचीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करवाई। भूरा उर्फ भंवरलाल की सम्पत्ति के फर्जी व कूटरचित कागजात् तैयार करके विक्रयपत्र कांताबाई के नाम किया जाना बताया गया है, जबकि भूरा पुत्र माधो ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है और न ही यह बयान दिया है कि उसकी सम्पत्ति के फर्जी और कूटरचित कागज तैयार करवाये हों। याची/अभियुक्ता कांताबाई का वादग्रस्त सम्पत्ति में आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा भूरा उर्फ भंवरलाल का है, जिसे भूरा उर्फ भंवरलाल ने विक्रय किया है। प्रकरण सिविल प्रकृति का है, जिसे आपराधिक रंग देने के लिए प्रथम

RAJASTHAN HIGH COURT

सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। याचीगण/अभियुक्तगण अन्वेषण में सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पर आमादा है। अतः उन्हें गिरफ्तार नहीं किये जाने के निर्देश प्रदान किये जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि अपराध की गम्भीरता को दष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों व प्रकरण के समस्त तथ्यों–परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याचीगण–अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 25.06.2026 को या इससे पूर्व संबंधित थानाधिकारी/अन्वेषण अधिकारी के समक्ष अन्वेषण हेतु उपस्थित रहें।

प्रकरण दिनांक 22.07.2026 के सूचीबद्ध किया जावे, तब तक याचीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 116/2026 पुलिस थाना देई, जिला–बून्दी में गिरफ्तार नहीं किया जावे।

याची अधिवक्ता द्वारा नोटिस मय आदेशिका शुल्क प्रस्तुत किये जाने पर परिवादी/अयाची क्रम–2 को नोटिस जारी किये जावें।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V. J.)),J

214/VISHAL SHARMA